

## भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II- खण्ड 3- उपखण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

---

---

सं. 95] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 16, 1988/माघ 27, 1909

---

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

---

---

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1988

### अधिसूचना

**का.आ. 183 (अ)-** जबकि केन्द्रीय सरकार, कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची में से काजू गिरी को निकालने का औचित्य स्वीकार करती है, इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार, कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची की मद सं. 10 से काजू गिरी को शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को निकालती है।

[फा.सं. 11/16/86-ई.पी. (एवी-4)  
एम. आर. शिवरामन, संयुक्त सचिव